कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ई.डी. की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सांसद शशि थरुर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, पवन बंसल, कुलदीप इंदौरा सहित कई अन्य नेताओं को मुखर्जी नगर (नई दिल्ली) थाने ले जाया गया।

द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की रिकॉर्ड जीत

द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं

- **इस चुनाव में मुर्मू को एन.डी.ए. में शामिल दलों के अलावा कई विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों का भी समर्थन मिला। मतगणना के रुझानों से यह झलक मिली कि, उन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिला है।**
- **अनुमान के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को करीब 64-65 प्रतिशत वोट मिले हैं।**

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वार्ता)। द्रौपदी मुर्मू (64) देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वह इस पद पर पहुंचने वाली आदिवासी समाज की पहली नेता हैं।

मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराया। मतगणना के नतीजों के औपचारिक घोषणा होने से पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार के खिलाफ काफी बड़ी बढ़त बना ली थी और उन्हें देशभर से बधाईयां मिलनी शुरू हो गयी थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने देश के सूदूर पूर्वी इलाके के एक गांव में पैदा एक आदिवासी महिला को 1.3 अरब की आबादी वाले विशाल लोकतंत्र के सर्वोच्च पद के लिए चुन कर आज एक इतिहास रचा है।

इस चुनाव में मुर्मू को एन.डी.ए. में शामिल दलों के अलावा कई विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों का भी समर्थन मिला। मतगणना के रुझानों से यह झलक मिली कि जनप्रतिनिधियों का उनकी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मुर्मू का समर्थन करने वाले सांसदों और विधायकों को धन्यवाद देते हुए ट्वीटर पर कहा,उनकी जीत हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मुर्मू को जीत की बधाई देने वाले पहले लोगों में थे। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में मुर्मू के निवास स्थान पर जाकर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया और जीत की बधाई दी। विपक्ष के उम्मीदवार सिन्हा ने मतगणना की अंतिम घोषणा से पहले ही मुर्मू को जीत की बधाई दे दी थी। मुर्मू का जीवन संघर्ष पथ से शिखर पर पहुंचने की उतार-चढ़ाव भरी एक यात्रा की कहानी है। उन्होंने मयूरभंज जिले के आदिवासी गांव में जन्म लेकर जीवन के प्रारंभिक संघर्षों के बीच पढ़ाई और सरकारी नौकरी की और अध्यापन कार्य किया। उनका राजनीतिक जीवन 90 के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, जब उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और स्थानीय निकाय में पार्षद बनीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को सम्पन्न हो रहा है। उनके बाद इस संवैधानिक पद और सेना के सर्वोच्च कमांडर का दायित्व मुर्मू के हाथ में होगा।

नूपुर शर्मा को मारने आया रिज़वान पाकिस्तान में भी अपराधी

- **पाक घुसपैठिया रिज़वान कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ा है और इसी ने लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी, इस मामले में वह जेल भी जा चुका है।**
- **तहरीक-ए-लब्बैक संगठन ने पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर रिज़वान इस संगठन में शामिल हो गया था।**

श्रीगंगानगर, 21 जुलाई (कासं)। नूपुर शर्मा को मारने भारत आया घुसपैठिया रिजवान पाकिस्तान में इमरान सरकार को घेरने वाले कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ा है। संगठन ने एक पूरा प्लान बनाकर उसे भारत भेजा था। अब राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस उसके लोकल कनैक्शन को तलाश रही है।

सूत्रों के मुताबिक रिजवान ने ही अगस्त 2021 में पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। इस मामले में वह जेल भी जा चुका है। श्रीगंगानगर आये एडीजी (सिक्योरिटी) एस. सेंगाथिर ने बताया कि 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर से लगे हिन्दुमलकोट बॉर्डर फेंसिंग से रिजवान को पकड़ा गया था। एडीजी का कहना है कि बिना स्थानीय मदद के इतनी बड़ी वारदात की साजिश संभव नहीं है। पूछताछ के दौरान रिजवान ने तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़े होने की बात कबूली है। अब ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए इस संगठन के संपर्क में आये हैं।

जांच एजेंसियों की नजर हर उस मैसेज पर है जो पाकिस्तान से लगे बॉर्डर इलाके के लोगों को भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ पाक संगठन लोगों को भड़का रहे हैं। घुसपैठिए के पास धार्मिक किताबों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। उसके पास मोबाइल या सिम नहीं मिली है। वह बार-बार बस कहता है कि नूपुर शर्मा को मारने आया है। आरोपी खुद को 8वीं पास बता रहा है। एजेंसियों के अनुसार वह काफी शातिर है और अपने कॉन्टैक्ट के बारे में कोई भी खुलासा नहीं कर रहा है।

रिजवान का बड़ा भाई इटली और छोटा भाई दुबई में रहता है। उसका कहना है कि उसे नूपुर शर्मा का घर कहां है, इस बारे में कुछ पता नहीं था। तहरीक-ए-लब्बैक संगठन ने पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर रिजवान संगठन में शामिल हो गया था। वह इस संगठन का सक्रिय सदस्य है। नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद इसी संगठन ने रिजवान को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया। संगठन की शह पर रिजवान कुछ दूर तक बस और फिर पैदल चलकर आया था। हालांकि अब तक उसने उसे मदद करने वालों का खुलासा नहीं किया है।

तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान में कट्टर दक्षिणपंथी इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक संगठन है। 2018 के आम चुनाव में उसे 22 लाख से अधिक वोट मिले थे। उसके तीन सदस्य पाकिस्तानी असेंबली में भी हैं। यह संगठन 2015 में अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना खामिद हुसैन रिजवी ने की थी। उसे भारत भेजने से पहले संगठन के जिला मुख्यालय मंडी बहाउद्दीन में ट्रेनिंग देकर उसका ब्रेनवॉश किया गया था। एडीजी ने कहा कि तहरीक-ए-लब्बैक ने घुसपैठिए को इस इलाके में प्लांट किया या वह खुद ही आया, इस बारे में साफतौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आरोपी को 23 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है।

केन्द्र ने विज्ञापनों पर खर्च किये 911.17 करोड़ रु.

- **केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यह जानकारी दी।**

नई दिल्ली, 21 जुलाई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि, सरकार ने पिछले तीन सालों में समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और वेब पोर्टलों में विज्ञापनों पर 911.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से विज्ञापनों का भुगतान किया गया था।

ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विज्ञापनों का भुगतान किया गया था। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्यों ने सरकार से साल 2014 से वर्ष-वार और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मीडिया में विज्ञापन पर कुल खर्च का ब्यौरा मांगा था।

''रीट'' में डमी अभ्यर्थी बनने जा रहा अध्यापक गिरफ्तार

23 व 24 जुलाई को होने जा रही रीट परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बनने वाला आईदानाराम वरिष्ठ अध्यापक है

- **पूर्व में भी वो नकल व फर्जीवाड़े के मामले में जेल जा चुका है।**
- **पुलिस वास्तविक परीक्षार्थी ओम प्रकाश को भी तलाश रही है।**

बाड़मेर, 21 जुलाई (निसं)। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) से पूर्व बाड़मेर पुलिस ने गुरूवार को एक डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। यह डमी अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक है जो 23 व 24 जुलाई को होने वाली रीट परीक्षा में किसी और की जगह फर्जी तरीके से परीक्षा देने के प्रयास में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से परीक्षा संबंधी फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि 23 व 24 जुलाई को आयोजित होने वाले रीट भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष व पारदर्शिता पूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए पुलिस एक अभियान के अन्तर्गत हल्के में निरन्तर गश्त कर रही है। इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आईदानाराम पुत्र खैमाराम, निवासी चितलवाना थाना क्षेत्र आगामी रीट परीक्षा में ओमप्रकाश नाम के लड़के के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी के रूप में बैठकर परीक्षा देगा। आईदानाराम वर्तमान में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिया में वरिष्ठ अध्यापक है।

इस सूचना पर पुलिस टीम ने आईदानाराम के सारण नगर स्थित किराये के कमरे में दबिश देकर चैक किया तो कमरे में रीट परीक्षा से सम्बंधित फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड ,ओमप्रकाश विश्नोई का कूटरचित रीट परीक्षा प्रवेश पत्र व खाली स्टाम्प मिले। उसके मोबाईल फोन में भी रीट परीक्षा सम्बधी आपत्तिजनक कटैन्ट मिले, जिनको बरामद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पुलिस थाना ग्रामीण बाड़मेर ने मामला दर्ज किया है। वही ओमप्रकाश की तलाश की जा रही है। मामले की जांच व अग्रिम अनुसंधान महिला थानाधिकारी रामप्रतापसिह को सौपा गया है। एसपी दीपक भार्गव ने बताया कि आरोपी आईदानाराम पूर्व में भी नकल व फर्जीवाड़े के मामलो में जेल जा चुका है।

पचहत्तर वर्षीय सोनिया....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करना चाहते हैं।''

गहलोत ने कहा, ''केवल इसी उद्देश्य के चलते, प्रधानमंत्री ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' की व्यवस्था लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ''उन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ''केबड़िया'' बाँटने में कोई समस्या नही चलेगी, जो उनके राजनैतिक उद्देश्यों में उनकी मदद करेंगे।

इससे पूर्व, संसद में कई विपक्षी दल सोनिया गांधी प्रतिसमर्थन तथा हमदर्दी व्यक्त करने के लिये आगे आये। उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मीटिंग की तथा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। मीटिंग में इन पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे-डी.एम.के., सी.पी.आई.(एम) सी.पी.आई., आई.यू.एम.एल., नेशनल कॉन्फ्रेंस, टी.आर.एस., एम.डी.एम. के., एन.सी.पी., वी.सी.के., शिवसेना तथा आर.जे.डी.।

विपक्षी दलों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा,''मोदी सरकार ने जाँच एजेंसियों के अनिष्कारी दुरूपयोग के जरिये, राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध का निरन्तर एवं निष्ठुर अभियान खुलकर चला रखा है। अनेक राजनैतिक दलों के प्रमुख नेता जानबूझ कर निशाना बनाये गये हैं तथा अभूत पूर्व तौर-तरीकों से परेशान एवं उत्पीड़ित किये गये है।''

इस वक्तव्य में नेताओं ने कहा, ''हम इसकी मर्त्सना करते हैं तथा मोदी सरकार की जन-विरोधी, किसान-विरोधी तथा संविधान-विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई को जारी रखने तथा उसे तीव्रता प्रदान करने का संकल्प लेते है।''

सूत्रो ने कहा कि ऐसी सम्भावना है कि सोनिया गांधी को पूछताछ के अगले दौर के लिये अगले दो दिनों में फिर से तलब किया जायेगा। ई.डी. सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष, जो कोविड़ से अभी-अभी उबरी हैं, से पूछताछ के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया पूछताछ में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के पास कोविड-नैगटिव सर्टिफिकेट मौजूद था।

सूत्रों ने कहा कि ई.डी. के पाँच अधिकारियों ने, एक महिला अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में, सोनिया गांधी से पूछताछ की। जाँच एजेंसी ने कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ के लिये 50 प्रश्न तैयार कर रखे थे।

इससे पूर्व, सोनिया गांधी सेन्ट्रल दिल्ली-स्थित जाँच एजेंसी मुख्यालय पर दोपहर के थोड़ी देर बाद ही पहुँच गई थीं। राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी उनके साथ गये थे। ई.डी. अधिकारियों ने बताया कि श्रीमती वाड्रा को पूछताछ कक्ष से कुछ दूर स्थित एक भवन में ठहरने की व्यवस्था कर दी गई थी जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी परेशानी की स्थिति में, वे अपनी माँ के पास जाकर उन्हें दवा दे सकें।

ई.डी. द्वारा की गई पूछताछ का समर्थन करते हुये, भाजपा ने कांग्रेस द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुये, इसे गांधी परिवार को बचाने के ''दुराग्रह'' की संज्ञा दी। भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने गांधी परिवार पर हमला करते हुये आरोप लगाया, ''कांग्रेस एक परिवार का जेबी-संगठन हो गई है और अब इसकी परिसम्पत्तियाँ भी इस परिवार की जेब में पहुँच रही हैं।''

रीट भर्ती 2016 मामले में कैबिनैट सचिव ने राजस्थान मुख्य सचिव को निर्देश दिए

- **पीड़ित अभ्यर्थी ने गत माह केन्द्रीय कैबिनेट सचिव और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि, कार्मिक अधिकारी और उप शिक्षा सचिव पूर्वाग्रह ग्रस्त नकारात्मक बयान दे रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं।**

उदयपुर, 21 जुलाई (कासं)। रीट भर्ती 2016 में रिक्त करीब 678 पदों के तथ्यात्मक प्रतिवेदनों पर कार्मिक विभाग के अधिकारी तथा उप शिक्षा सचिव के द्वारा पूर्वाग्रहपूर्वक नकारात्मक राय देकर मामले को भ्रमित करने को लेकर कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तत्काल आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है।

मामले के एक पीड़ित अभ्यर्थी ने इस संबंध में गत माह केंद्रीय कैबिनेट सचिव तथा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रकरण में उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट की खंडपीठ के जजमेंट व राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापसी के प्रशासनिक निर्णय के बावजूद अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने और वास्तविक तथ्यों पर विचार नहीं करने का आरोप लगाते हुए शिकायत प्रेषित की थी। पीड़ित अभ्यर्थी ने उक्त भर्ती के वास्तविक तथ्यों पर कार्मिक विभाग के एक अधिकारी विशेष व स्थानांतरण आदेश के बावजूद अपने पद पर कार्यरत उप शिक्षा सचिव द्वारा इस प्रकरण में भ्रामक नोटिंग तैयार कर कोर्ट जजमेंट को दरकिनार कर सैंकड़ों बेरोजगारों की चयनसूची में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने के इस मामले की जाँच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। मामले में संज्ञान लेते हुए कैबिनेट सचिवालय की ओर से मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र में पीड़ित अभ्यर्थी के अभ्यावेदन पर तत्काल यथोचित कार्यवाही का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि रीट भर्ती वर्ष 2016 प्रकरण लंबित है। राजस्थान हाई कोर्ट की एकलपीठ व खंडपीठ सभी रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के मार्फत भरने का आदेश दे चुकी है। गत वर्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने हेतु इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी भी वापिस ली थी।

कहां फंसा है पेच: गत वर्ष भर्ती की नोडल एजेंसी निदेशालय बीकानेर ने सितंबर माह में अंग्रेजी व विज्ञान-गणित के करीब डेढ़ हजार पदों पर अस्थायी चयनसूची भी जारी की थी, किन्तु निदेशालय ने ऑनलाइन आवेदन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता सत्यापन के बिना ही सूची जारी कर दी थी, जिससे बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों का भी इनमें चयन हो गया और वास्तविक पात्र बेरोजगार चयन से वंचित रह गए। इस प्रकार दोनों विषयों के करीब 678 पद आज भी रिक्त है। निदेशालय ने इन रिक्त पदों पर नयी चयनसूची के लिए सचिवालय से मार्गदर्शन भी माँगा हुआ है। पीड़ित अभ्यर्थियों का आरोप है कि कोर्ट ने अपने निर्णय में कहीं भी अपात्र अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल करने के लिए नहीं लिखा है, जबकि कुछ जिम्मेदार अधिकारी इस मामले के तथ्यों पर विचार किए बिना ही पूर्वाग्रहपूर्वक बाधा उत्पन्न करने पर तुले हुए है।

स्मृति ईरानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राइट टु इन्फार्मेशन (आर.टी.आई.) के जरिये इस लाइसेंस-फ्रॉड को उजागर किया था, से कहा है कि वे सुनवाई के लिये तय की तारीख 29 जुलाई को सुनवाई के समय उपस्थित रहें।

उन्होंने बुधवार को लिखित शिकायत दर्ज करके माँग की थी कि स्मृति ईरानी के परिवार द्वारा एक्साइज अधिकारियों तथा स्थानीय असागाव पंचायत से मिलकर किये गये इस बहुत बड़े फ्रॉड की गहन जाँच की जाये।

शिकायतकर्ता द्वारा एक्साइज विभाग से आर.टी.आई. के जरिये प्राप्त किये गये दस्तावेज यह बात रहे हैं कि गोवा के एक्साइज नियम बार का लाइसेंस पहले से चल रहे रेस्टोरेंट को ही दिये जाने की अनुमति देते हैं लेकिन स्तब्ध करने वाली बात यह है कि विभाग ने 18 फरवरी, 2021 को विदेशी शराब, भारत-निर्मित विदेशी शराब तथा देशी शराब (फेनी) की खुदरा बिक्री आउटलेट से किये जाने के लाइसेंस जारी कर दिये।

ये लाइसेंस मुम्बई के किन्हीं एन्थनी डीगामा के नाम जारी हुये थे। उनका आधार कार्ड 30 दिसम्बर, 2020 को जारी हुआ था।

डीगामा की मृत्यु 17 मई, 2021 को हो गई, जैसा कि एडवोकेट रॉड्रिग्स द्वारा मुम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से प्राप्त किया गया मृत्यु प्रमाण दर्शाता है। स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि मापूसा के एक्साइज ऑफिस ने इस व्यक्ति के नाम 29 जून, 2022 को लाइसेंसों का पुनर्नवीनीकरण कर दिया।

इसका मतलब यह हुआ कि स्मृति ईरानी का परिवार एक मर चुके व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेकर इस बार को चला रहा है।

खनन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पचगाँव क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों में एक डम्पर-ट्रक को रुकने का इशारा किया था, ताकि उसके कागजात की जाँच की जा सके, लेकिन ड्राइवर वाहन की गति तेज कर दी तथा उन्हें कुचलता हुआ चला गया।

अरावली पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा देने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे की मॉनिटरिंग कर रहा है।

नूह पुलिस ने उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने डी.एस.पी. को अपनी गाड़ी से कुचल कर मार दिया था। क्लीनर इक्कार से हुई पूछताछ के बाद, ड्राइवर को राजस्थान के भरतपुर जिले से गिरफ्तार किया गया।

इक्कार मंगलवार को पुलिस-मुठभेड़ के दौरान चलाई गई गोली से जख्मी होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

न्यायमूर्ति खानविलकर 29 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा इस प्रकार, वे अदालत में छः दिन और बैठेंगे। इसलिये यह केस किसी अन्य बैंच के पास भेजा जा सकता है, जिसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश करेंगे।

वरिष्ठ एडवोकेट ए.डी.एन. राव, जो गैर कानूनी खनन केसों में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिये ''न्याय मित्र'' नियुक्त किये गये हैं, ने न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, अभय एस. ओझा तथा जमशेद बी. पारदीवाला के बैंच को इस प्रकरण की जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने राज्य सरकार से अब तक हुई कार्यवाही की रिपोर्ट माँग ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय अविवाहित महिला को गर्भपात की मंजूरी दी

अविवाहित महिला ने कोर्ट में अनुरोध किया था कि, उसका लिवइन पार्टनर उसे छोड़ गया है तथा वह अकेली बच्चे का पालन करने में असमर्थ है

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस मामलें में जो कानून है वह एक विधवा या तलाकशुदा महिला को 20-24 सप्ताह की अवधि में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।**

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सिर्फ अविवाहित होने के कारण किसी महिला को गर्भपात से नहीं रोका जा सकता।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 वर्षीय एक अविवाहित महिला द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 16 जुलाई के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपना यह फैसला सुनाया। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक महिला को सिर्फ इसलिए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अविवाहित है। याचिकाकर्ता महिला ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया था, जिसमें उसने अपने 24 सप्ताह के भ्रूण को उसकी (महिला की) सहमति से संबंध के आधार पर गर्भपात करने की अनुमति का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके लिए बच्चे को पालना मुश्किल था, क्योंकि उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि वह अपने किसान माता-पिता के पांच भाई-बहनों में एक है। महिला ने कहा था कि अविवाहित होने पर बच्चे को जन्म देने के कारण सामाजिक बहिष्कार और मानसिक पीड़ा का भी उसे सामना करना पड़ेगा। उसने यह भी कहा था कि वह सिर्फ एक कला स्नातक और उसके पास रोजी रोजगार का कोई जरिया नहीं है। लिहाजा वह बच्चे के पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाएगी।

शीर्ष न्यायालय अदालत की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 2021 मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में किए गए संशोधन में अविवाहित महिला को भी शामिल करने के लिए पति के बजाय ''पार्टनर'' शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

ज्ञानवापी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्णय की प्रतीक्षा करेगी।

बैंच ने कहा कि उसे इस तथ्य से अवगत करावा दिया गया है कि जिला जज के समक्ष कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन हैं और आदेश 7 नियम 11 के तहत दावे की व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाने वाले आवेदन के परिणाम तक मस्जिद कमेटी की अपील को लम्बित रखना उचित होगा।

शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिन्दू श्रद्धालुओं को द्वारा दायर दीवानी दावे को यह कहते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया कि मुद्दे की ''जटिलताओं'' और ''संवेदनशीलता'' को देखते हुए बेहतर यह होगा कि 25 से 30 सालों का अनुभव रखने वाला कोर्ट सीनियर जूडीशियल अधिकारी इस केस को हैण्डिल करे।

शिवलिंग मिलने के बाद यह मस्ज़िद चर्चा का विषय बनी हुई है और हिन्दू मतावलम्बी इस शिवलिंग की पूजा करने का दबाव बना रहे हैं।

''ई.डी. झूठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चर्चा के लिए तैयार बशर्ते सरकार 11.15 से 11.30 बजे के बीच चर्चा के लिए मान जाए उनकी संसद को चलने देना चाहती है, सरकार की तरह नहीं जो उन मुद्दों पर सवाल कतराती है, जिनके जवाब नहीं देना चाहती। वरिष्ठ पार्टी नेताओं शथि थरूर, सचिन पायलट और पवन खेड़ा को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किए जाने पर गिरफ्तार किया। कई राज्यों के मुख्यालयों में प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस के प्रदर्शन और कांवड़ यात्रा से दिल्ली में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908